

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नामित एजेन्सी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में दिनांक 29.07.2026 की कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 29.07.2026 को विकास भवन सभागार लखीमपुर खीरी में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, अधिशासी अभियन्ता नलकूप, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, डी०टी०एल०, टी०पी०आई०, मै० सेन्सिस टेक लि०, मो० जमाल डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०, श्री प्रियांशू यादव, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० वी०टी०एल, लखीमपुर खीरी उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न)।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं-

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद में कुल 116 नग पेयजल योजनाएं बनायी गयी, जिनमें 139 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। सम्पूर्ण जनपद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 904 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें 1553 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, पेयजल योजनाओं में 942 नग नलकूप, 942 नग पम्प हाउस, 942 नग बाउण्ड्रीवॉल, 942 नग सोलर प्लान्ट, 922 नग शिरोपरि जलाशय, 11534 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 564407 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 939 नग नलकूप, 869 नग पम्प हाउस, 872 नग बाउण्ड्रीवॉल, 872 नग सोलर प्लान्ट, 490 नग शिरोपरि जलाशय, 11519 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 538904 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। जनपद में कुल 1553 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 1129 नग राजस्व ग्रामों में नियमित क्लोरीनयुक्त स्वच्छ पेयजलापूर्ति की जा रही है। 931 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 405 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल सर्टिफाइड कर लिया गया है एवं 172 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण चरण में ले जाया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उनमें बिना किसी बाधा के निरन्तर क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइप लाइन व पेयजल गृह संयोजन किए जाने हेतु खोदी गयी सड़को को अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्वक पुर्नस्थापित कर ली जाए एवं लीकेज की शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराया जाए।

78

- मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा— समीक्षा बैठक में उपस्थित एन0सी0सी0 फर्म के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद जमाल द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 667 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 687 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 411 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी प्रगति काफी असंतोषजनक है। शिरोपरी जलाशय के कार्यों में अतिरिक्त मैनपावर लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराए जा रहे समस्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु पाइप पेयजल योजनावार टाइमलाइन निर्धारित की जाए व निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह कराई जाए। जिससे कार्यों को चरणवार समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना संभव हो सके।
- मै0 वी0टी0एल0 गाजा इंजी0 लि0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा— समीक्षा बैठक में उपस्थित वी0टी0एल0 फर्म के डी0पी0एम0 श्री प्रियांशू यादव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 237 नग पाइप पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 240 नग शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 73 नग शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसकी प्रगति काफी असंतोषजनक है। शिरोपरी जलाशय के कार्यों में अतिरिक्त मैनपावर लगाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराए जा रहे समस्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु पाइप पेयजल योजनावार टाइमलाइन निर्धारित की जाए व निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह कराई जाए। जिससे कार्यों को चरणवार समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना संभव हो सके।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु—

- I. जल निगम की पूर्व निर्मित योजनाएं जो संचालन व अनुरक्षण हेतु फर्म में वी0टी0एल0 लि0 को आवंटित है के संबंध में एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री प्रियांशू यादव द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मत कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत हो गई है व कुल 116 नग योजनाओं के सापेक्ष 66 नग पाइप पेयजल योजनाओं में मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वी0टी0एल0 लि0 को निर्देशित किया गया है कि उक्त योजनाओं में मरम्मत कार्यों को पूर्ण कराने की प्लानिंग/माइल स्टोन प्रस्तुत कर अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जाए व उपरोक्त समस्त योजनाओं में प्राविधानित कार्य माह सितम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जाए।
- II. नियमित जलापूर्ति में हो रही बाधा के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं में सोलर वायर की चोरी होने का कारण बताया गया जिसके लिए एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवश्यक मैन पावर/गार्ड रखे जाए, पाइप पेयजल

योजना पर सोलर वायर/अन्य सामग्री चोरी होने की दशा में संबंधित गार्ड की भी जिम्मेदारी तय की जाए व चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाए।

III. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 5 योजनाओं में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य बाधित है। मा0 न्यायालय में कुल 04 प्रकरण (ग्राम पंचायत जगदेवपुर, ओयल देहात, नगला व मरुआ पश्चिम) विचाराधीन है तथा उनमें निर्गत स्थगन आदेश प्रभावी है जिसको निरस्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी के करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि जल निगम उक्त वादों का पक्षकार नहीं है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर पक्षकार बनकर तथ्यों को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाएं। शेष 01 प्रकरण जिसमें (ग्राम पंचायत गौड़ी) स्थानीय/प्रशासनिक विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

IV. जल कल परिसरों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

V. समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शिरोपरी जलाशय के निर्माण कार्यों के दौरान उठाई गयी आपत्तियों (एन0सी0) में से 37 नग एन0सी0 क्लोजर हेतु पेंडिंग हैं जिनमें एन0सी0सी0 लि0 के 14 नग एवं वी0टी0एल0 की 23 नग एन0सी0 पेंडिंग है। एन0सी0सी0 एवं वी0टी0एल0 लि0 के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त पेंडिंग एन0सी0 का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण 15 दिवस में कर लिया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्यों का सघन अनुश्रवण करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य ससमय पूर्ण करायें।

VI. जिन ग्रामों में कमिशनिंग एवं टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन ग्रामों में वितरण प्रणाली डालने के दौरान तोड़ी गयी सड़क को शत-प्रतिशत पुनर्स्थापित कर लिया जाए। साथ ही जिन ग्रामों में अभी टेस्टिंग, गृह संयोजन के कार्य अवशेष हो उनमें समस्त सड़कों को मोटरेबल किये जाने के निर्देश दिए गए।

VII. समीक्षा में पाया गया कि वितरण प्रणाली का कार्य शत-प्रतिशत व गृह संयोजनों का कार्य भी 97.47 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया। परन्तु वर्तमान में कुल लक्षित 1553 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 1129 राजस्व ग्रामों में ही जलापूर्ति की जा रही है जिसकी प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। क्षेत्रों में भ्रमण/शिकायत पत्रों के अवलोकन से यह तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं कि ज्वाइंटिंग कार्य/लीकेज मरम्मत कार्य के अभाव में योजना से संचालन का कार्य नहीं हो रहा है जिन ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है उनमें भी सभी मजराओं में न होकर आंशिक रूप से हो रही है जो काफी आपत्ति जनक है। उपस्थित दोनों फर्मों के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि निरन्तर जलापूर्ति में आ रही बाधा को डेडिकेटेड टीम लगाकर तत्काल निस्तारित कराकर हर हाल में क्लोरीन युक्त जलापूर्ति सभी मजराओं में की जाए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।

- VIII.** आई0जी0आर0एस0 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि माह जून में कुल 1324 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बैठक में उपस्थित दोनों फर्मों के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि पेयजल योजनाओं में परिलक्षित कमियों का स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल निस्तारण करा ले जिससे शिकायत में कमी आये साथ ही शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए प्रति विकास खण्डवार लीकेज मरम्मत/ज्वाइंटिंग/गृह संयोजन इत्यादि कार्यों के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम लगायी जाए जो निरन्तर भ्रमणशील रहे एवं तत्काल समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये।
- IX.** जीरो पॉवर्टी योजना की समीक्षा में पाया गया कि जनपद के कुल 11892 पात्र परिवारों जिन्हें जलजीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है परन्तु वर्तमान तक केवल 3586 परिवारों को गृह संयोजन प्रदान किया गया है अभी 8306 परिवारों को गृह संयोजन दिया जाना अवशेष हैं। बैठक में उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि अवशेष सभी पात्र परिवारों को माह अगस्त तक गृह संयोजन प्रदान कर दिये जाएं।
- X.** जल निगम अधिशासी अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण योजनाओं का प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance), पेयजल गुणवत्ता की सतत निगरानी करने, पेयजल की महत्ता से जन सामान्य को परिचित कराते हुए उसका समुचित उपयोग, पेयजल की योजनाओं में जनसहभागिता को सुदृढ़ बनाने, योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने, इस हेतु सूचना के पारदर्शी आदान-प्रदान तथा ग्राम स्तर तक वास्तविक समय (Real Time) पर सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "जल सारथी" मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवाओं, सूचनाओं एवं अनुश्रवण व्यवस्थाओं को एकीकृत करते हुए राज्य, जनपद/जिला प्रशासन, कार्यदायी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत स्तर के हितधारकों के मध्य एक प्रभावी डिजिटल सेतु के रूप में कार्य करता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों/ग्राम प्रधान/ग्राम वासियों को पेयजल योजनाओं की जानकारी सुझाव/शिकायत हेतु इस ऐप का प्रचार/प्रसार किया जाए।
- XI.** बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सभी योजनाओं को संचालित किया जाए साथ ही जिन योजनाओं से जलापूर्ति हो रही है उसमें क्लोरीनयुक्त निर्बाध रूप से नियमित जलापूर्ति होती रहे।
- XII.** जनपद में त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की सूची जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी से प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जाए जिन सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यदि वहाँ पाइप लाइन डाली जानी है तो सम्बन्धित विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य प्राथमिकता पर सड़क निर्माण से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए।

- XIII. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन पाइप पेयजल योजनाओं में सीधी पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है उनमें शिरोपरि जलाशय के कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए योजनाओं को O&M चरण में ले जाया जाए व जिन योजनाओं में जलापूर्ति नहीं हो रही है उनमें प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति प्रारम्भ की जाए।

(अमिष कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
0/L
M
TSE

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

पत्रांक 2682 / M-21 / 84 दिनांक- 14/8/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी।
4. डी०टी०एल० मेसर्स सेन्सिस टेक लि० टी०पी०आई०, लखीमपुर खीरी।
5. श्री प्रियांशु यादव, डी०पी०एम०, मै० वी०टी०एल० गाजा लि० (जे०वी०) पंजाबी कालोनी, लखीमपुर-खीरी।
6. मो० जमाल, (डी०पी०एम०), मै० एन०सी०सी०लि०, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज, लखीमपुर खीरी।
7. गार्ड फाइल।

मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
0/L
M
TSE